

हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

संख्या होम-ए-एफ (13)- 1/2007

दिनांक शिमला-2 19 मई,2011

अधिसूचना

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) के व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल उपरीड,मौजा कोपडा,तहसील नूरपुर, जिला कांगडा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा राष्ट्रीय आपदा रिज्व फोर्स की एक बटालियन की स्थापना हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू— अर्जन अधिनियम ,1894 की धारा— 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके के किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा—17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा—5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल	मौजा	खसरा न0	क्षेत्र / रकवा (है0 में)	भूमि की किस्म	उद्देश्य
कांगड़ा	नूरपुर	उपरीड	कोपडा	497	0-12-15	वारानी दोयम	भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हिं0 प्र0 में राष्ट्रीय आपदा रिज्व फोर्स की एक बटालियन की स्थापना हेतू
				538	0-00-56	वारानी दोयम	
				539	0-18-93	वारानी दोयम	
				495	0-10-81	वारानी दोयम	
				498	0-00-83	वारानी दोयम	
				521	0-02-35	वारानी अब्बल	
				537	0-13-72	वारानी अब्बल	
				525	0-11-09	वारानी दोयम	
				503	1-02-18	वारानी अब्बल	
				504	0-00-83	बंजर कदीम	
				505	0-11-91	बंजर कदीम	
				508	0-20-78	वारानी अब्बल	
				500	0-02-30	वारानी अब्बल	
				501	0-52-20	वारानी अब्बल	
				502	0-44-39	बगीचा फलदार वरानी	
				506	0-03-99	खडैतर	
				507	0-12-06	वारानी अब्बल	
				533	0-03-04	वारानी दोयम	
				568 / 532	0-06-36	वारानी दोयम	
				569 / 532	0-06-35	बंजर कदीम	
				530	0-17-64	वारानी दोयम	

				544	0-43-38	वारानी दोयम	
				519	0-80-97	वारानी दोयम	
				545	0-29-54	बंजर कदीम	
				546	0-17-50	खडैतर	
				549	0-40-48	बंजर कदीम	
				552	0-20-42	बंजर कदीम	
				553	0-59-33	बंजर कदीम	
				554	0-32-62	बंजर कदीम	
				557	0-10-84	बंजर कदीम	
				560	0-20-36	बंजर कदीम	
				559	0-42-64	वारानी अब्बल	
				548	0-15-00	वारानी दोयम	
				550	0-40-52	वारानी दोयम	
				555	0-86-34	वारानी दोयम	
				556	0-54-72	वारानी दोयम	
				561	1-01-30	वारानी दोयम	
				547	0-54-00	वारानी दोयम	
				551	0-14-36	वारानी दोयम	
				558	0-83-01	वारानी दोयम	
				534	0-03-64	वारानी दोयम	
				529	0-05-79	वारानी दोयम	
				499	0-12-42	बंजर कदीम	
				526	0-15-59	वारानी दोयम	
				527	0-03-91	वारानी दोयम	
				478 / 1	0-46-56	वारानी दोयम	
				510	0-05-32	वारानी दोयम	
				511	0-01-95	वारानी दोयम	
				512	0-03-10	वारानी दोयम	

				513	0–12–58	वारानी दोयम	
				514	0–01–90	वारानी दोयम	
				515	0–01–52	वारानी दोयम	
				516	0–00–71	वारानी दोयम	
				517	0–03–01	वारानी दोयम	
				520	0–02–39	वारानी दोयम	
				540	0–39–13	वारानी दोयम	
				535	0–14–32	वारानी दोयम	
				536	0–12–88	वारानी दोयम	
				477	1–61–76	वारानी दोयम	
				449 / 1	0–02–96	वारानी अब्बल	
				453	0–01–48	वारानी अब्बल	
				454	0–16–73	वारानी दोयम	
				455	0–08–02	खडैतर	
				456	0–28–75	वारानी अब्बल	
				457	0–28–45	वारानी अब्बल	
				457 / 1	0–02–45	वारानी अब्बल	
				471	0–59–38	बंजर कदीम	
				472	0–31–88	बंजर कदीम	
				473	0–04–22	बंजर कदीम	
				475	0–03–50	बंजर कदीम	
				566 / 476	0–06–56	बंजर कदीम	
				567 / 476	0–06–55	बंजर कदीम	
				किता 72	17–51–21		

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन सं० गृह (ए) एफ (13)–१ / 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

तारीख शिमला–२ 19 मई, 2011

1. नियन्त्रक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,हिमाचल प्रदेश,शिमला-171005 को राजपत्र असाधारण में प्रकाशन करने हेतु ।
2. पुलिस महानिदेशक,हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 ।
3. महानिदेशक, सशस्त्र सीमाबल,गृह मन्त्रालय,भारत सरकार,पूर्वी खण्ड-V, आर के0 पुरम,नई दिल्ली-110066 ।
4. उपायुक्त जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला,हि0प्र0 को उनके पत्र/ पृष्ठांकन संख्या-901/डी आर ए,दिनांक 03.04.2010 के सन्दर्भ में ।
5. मण्डलायुक्त,कांगड़ा मण्डल, धर्मशाला ,हि0प्र0 को उनके पत्र संख्या-Div.Comme/LR-5(12)10-I-5515,दिनांक 04.12.2010 के सन्दर्भ में ।
6. आदेशक,भारत तिब्बत सीमा पुलिस, 27वीं वाहिनी, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, बीबीवाला रोड,भटिडा,पंजाब को उनके पत्र सं0 ITBP/7th NERF (27th Bn ITBP) Engg/land/11-235 दिनांक 28.03.2011 के संदर्भ में ।
7. भूअर्जन समाहर्ता/उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित । उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना का प्रचार सम्बन्धित क्षेत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सुविधाजनक स्थानों पर करवाया जाये
8. निदेशक,लोक सम्पर्क विभाग,हिमाचल प्रदेश,शिमला-2 को पौच अतिरिक्त प्रतियों सहित । उनसे अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में तुरन्त प्रकाशित करवाएं जिसमें से एक क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा में हो तथा उसकी एक प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करवाएं ।
9. गार्ड नस्ति ।

अवर सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार